देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 8/10/भू अ०   दिनांक : 6-1-17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–मधुसूदन छोराट, थाना–देवघर, थाना सं०–255, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **जसीडीह–बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग 04/E** –(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–मधुसूदन छोराट, थाना–देवघर, थाना सं०–255, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **8976.25 वर्गफीट** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0/TPP No.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10/2911	5/1461	बसौड़ी	मकान में सहन	1240	दिलीप सिंह।	अंश मौजा– मधुसुदन छोराट	मौजा – कल्याणपुर नं० 398	अंश रकवा	रोड सत्संग भिरखीबाद
2	-	6/T.No/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	1222.5	सचिव सतसंग आश्रम।				
3	01/2901	7/T.P No 1458	बसौड़ी	मकान में सहन	1736.25	श्री मानजी भाई पटेल पे० स्व० आनजी पटेल				
4	02	8/T.P	बसौड़ी	मकान में सहन	765	अभय कुमार पांडे पे० स्व० रामाकांत पांडे।				
5	02/2902	9/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	750	गौरी शंकर पंडित पे० स्व० मनेजर पंडित वो महेन्द्र पंडित वो नागेन्द्र पंडित वो गोलू पंडित पे० स्व० मांगन पंडित।				
6	02/2902	10/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	292.5	अर्चना गुप्ता पति राज किशोर गुप्ता पे० स्व० मथुरा प्र० साह।				
7	02/2902	11/1457T.P	बसौड	मकान में सहन	315	राजपति देवी पति देवनन्दन प्रसाद।				
8	02/2902	12/T.P.N.1457	बसौड	मकान में सहन	757.5	प्रमोद रंजन उर्फ कुमुद रंजन पे० यमुना प्रसाद				
9	02/2909	14/T.P.N/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	975	प्रमोद रंजन व सन।				
10	0/2909	13/T.P.N/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	922.5	प्रभु नारायण यादव पे० स्व० चमन गोप।				
				कुल रकवा (वर्गफीट)–	**8976.25**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या

भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/-
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 810/ भू अ०, देवघर, दिनांक 6-11-17
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।
प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

6/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।